कानाराम बनाम ठाकराराम
2024 / 239
निर्णय दिनांक–08-04-2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.–2024 / 239 दर्ज तिथि–31.12.2024

1. कानाराम पुत्र केवलाराम
2. सदराम पुत्र केवलाराम

जाति विश्नोई निवासी प्रतापनगर ,अणदाणियों की ढाणी, तहसील धोरीमन्ना

– प्रार्थीगण

बनाम

1. ठाकराराम पुत्र भोमाराम
2. जगदीश पुत्र चेतनराम
3. मांगीलाल पुत्र चेतनराम
4. राजूराम पुत्र चेतनराम
5. सजनी पत्नी चेतनराम
6. हरिराम पुत्र विरदाराम
7. रामचन्द्र पुत्र विरदाराम
8. भागीरथ पुत्र विरदाराम
9. कालूराम पुत्र मदरूपाराम
10. किशनाराम पुत्र मदरूपाराम
11. चौथाराम पुत्र मदरूपाराम
12. नवलाराम पुत्र मदरूपाराम
13. पांचाराम पुत्र मदरूपाराम
14. बाबूराम पुत्र मदरूपाराम
15. रूगनाथराम पुत्र मदरूपाराम
16. हरूराम पुत्र मदरूपाराम
17. आसूराम पुत्र भूराराम
18. लासी पत्नी भूराराम
19. वगताराम पुत्र कानाराम
20. जोधाराम पुत्र कानाराम फौत [illegible] मुकाम

    20 / 1 साजनराम पुत्र जोधाराम

    20 / 2 हरिराम पुत्र जोधाराम
21. धीमाराम पुत्र कानाराम
22. प्रभूराम पुत्र पोलाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:14 IST
Reason: SelfAttested

कानाराम बनाम ठाकरराम
2024 / 239
निर्णय दिनांकः—08-04-2025

23. भागीरथ पुत्र पोलाराम
24. आसूराम पुत्र रामुराम
25. किशनाराम पुत्र रामुराम
26. मांगीलाल विश्नोई पुत्र रामुराम
27. रतनलाल पुत्र रामुराम
28. राजूराम विश्नोई पुत्र रामूराम
29. नूनू पत्नी रामुराम
30. दयाराम पुत्र मोबताराम

जाति विश्नोई निवासी प्रतापनगर,अणदाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

......................असल अप्रार्थीगण

31. तहसीलदार धोरीमन्ना।

.... तकमीली अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री हापूराम
अप्रार्थीगण— एक तरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111,128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—08.04.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 173 / 13.8564 है0 वांके ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार धोरीमन्नाके आदेश दिनांक 09.07.2024 के तहत हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान कार्यवाही शुरू की गई परन्तु पड़ौसी खसरों के खातेदार / अप्रार्थीगण द्वारा पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं करने दी तथा झगड़े पर उतारू होकर प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगणअपनी आराजी खसरे की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:14 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की पैमाईशकी जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी अंतिम चौसला आधार संवत् 2072–75 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई वाकै ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का चैनपुरा में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार [illegible] किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया [illegible] कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाकेग्राम आदर्श लूखू के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजीप्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 09.07.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार [illegible]न्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करवाई लेकिन विप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर कार्यवाही पूर्ण नहीं करवाई जा सकी।तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:14 IST
Reason: SelfAttested

कानाराम बनाम ठाकरराराम
2024/239
निर्णय दिनांकः–08-04-2025

सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निरतारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–111,128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 173/13.8564 है0 वांके ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्व सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 08.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:14 IST
Reason: SelfAttested